"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 31] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 31 जुलाई 2020—श्रावण 9, शक 1942

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 19 मार्च 2020

क्रमांक ई 1-02/2020/एक-2.—राज्य शासन एतद्द्वारा प्रदेश में नोवल कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण के नियंत्रण हेतु प्रशासनिक आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए निम्नांकित भा.प्र.से. अधिकारियों को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है :—

1. श्री प्रभात मलिक, भा.प्र.से. (2015), संचालक, संस्थागत वित्त तथा अतिरिक्त प्रभार चीफ ऑपरेटिंग अधिकारी, चिप्स.

2. श्री डी. राहुल वेंकट, भा.प्र.से. (2015), उप सचिव, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग, उप सचिव, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2020.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 3 जून 2020

क्रमांक ई-1-5/2020/एक/2.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री टामन सिंह सोनवानी भा.प्र.से. (सी.जी.-2004) द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु प्रस्तुत आवेदन दिनांक 30-05-2020 के प्रकाश में अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्त प्रसुविधाएं) नियम, 1958 के नियम-16(2) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्धारित 90 दिवस की कालावधि में छूट प्रदान कर उन्हें अधिवार्षिकी आयु पूर्ण होने के पूर्व दिनांक 31-05-2020 (अपरान्ह) से सेवानिवृत्त करता है.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 4 जून 2020

क्रमांक ई 1-02/2020/एक-2.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री नरेन्द्र कुमार दुग्गा, भा.प्र.से. (2008), प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम तथा अतिरिक्त प्रभार प्रबंध संचालक, दुग्ध महासंघ को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त प्रबंध संचालक, दुग्ध महासंघ के पद पर पदस्थ करता है.

श्री नरेन्द्र कुमार दुग्गा, भा.प्र.से. द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से प्रबंध संचालक, दुग्ध महासंघ के असंवर्गीय पद को राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 के नियम-12 के तहत प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 11 जून 2020

क्रमांक ई 1-02/2020/एक-2.—राज्य शासन एतद्द्वारा डॉ. एम.गीता, भा.प्र.से. (1997), को प्रभारी कृषि उत्पादन आयुक्त एवं सचिव, कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग के पद पर पदस्थ करते हुए, सचिव, ग्रामोद्योग विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

डॉ. एम. गीता, भा.प्र.से. (1997)द्वारा उक्त कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से डॉ. मनिंदर कौर द्विवेदी, भा.प्र.से. (1995), कृषि उत्पादन आयुक्त एवं प्रमुख सचिव, कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार प्रमुख सचिव, ग्रामोद्योग विभाग के प्रभार से मुक्त होंगी.

2. श्री परदेशी सिद्धार्थ कोमल, भा.प्र.से. (2003), सचिव, लोक निर्माण विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार सचिव, खेल एवं युवा कल्याण विभाग व प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य सड़क विकास निगम, रायपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त सचिव, मान. मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय के पद पर पदस्थ करते हुए सचिव, लोक निर्माण विभाग, सचिव, विमानन विभाग एवं सचिव, खेल एवं युवा कल्याण विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

3. श्री नीलम नामदेव एक्का, भा.प्र.से. (2005), प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणन संघ मर्यादित, रायपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त विशेष सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग के पद पर पदस्थ करता है.

4. श्री एलेक्स व्ही.एफ.पॉल मेनन व्ही., भा.प्र.से. (2006), विशेष सचिव, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार प्रबंध संचालक, छ.ग. स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन, रायपुर को उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़ का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

श्री एलेक्स व्ही.एफ.पॉल मेनन व्ही., भा.प्र.से. (2006), द्वारा श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़ का अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से श्री सोनमणि बोरा, भा.प्र.से. (1999), सचिव, संसदीय कार्य विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार सचिव, माननीय राज्यपाल, राजभवन सचिवालय, सचिव, श्रम विभाग, श्रमायुक्त व राज्य नोडल अधिकारी केवल श्रमायुक्त के अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे. शेष प्रभार यथावत् रहेगा.

5. श्री भूवनेश यादव, भा.प्र.से. (2006), विशेष सचिव, ग्रामोद्योग विभाग को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ संचालक, भू-अभिलेख का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

6. सुश्री शम्मी आबिदी, भा.प्र.से. (2007), संचालक, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास की उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ प्रबंध संचालक, अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम एवं संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

7. श्री राजेश सिंह राणा, भा.प्र.से. (2008), सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग को उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणन संघ मर्यादित, रायपुर एवं प्रबंध संचालक, छ.ग. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

8. श्री नरेन्द्र कुमार दुग्गा, भा.प्र.से. (2008), प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त संयुक्त सचिव, कृषि विभाग के पद पर पदस्थ करते हुए प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

9. श्री के. डी. कुंजाम, भा.प्र.से. (2009), संयुक्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार संयुक्त सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

10. श्री नीलेश कुमार महादेव क्षीरसागर, भा.प्र.से. (2011), नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन तथा अतिरिक्त प्रभार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य कौशल विकास अभिकरण, रायपुर को संचालक, कृषि के पद पर पदस्थ करते हुए मिशन संचालक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (SRLM), रायपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

11. श्री भोसकर विलास संदिपान, भा.प्र.से. (2011), संयुक्त सचिव, वन विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार संयुक्त सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग एवं विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग को उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य सड़क विकास निगम, रायपुर का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा जाता है.

12. श्री जितेन्द्र कुमार शुक्ला, भा.प्र.से. (2011), संचालक, लोक शिक्षण तथा अतिरिक्त प्रभार मिशन संचालक, राज्य साक्षरता मिशन, प्रबंध संचालक, समग्र शिक्षा तथा संचालक, राज्य शैक्षिक एवं अनुसंधान परिषद् (एससीईआरटी) को केवल मिशन संचालक, राज्य साक्षरता मिशन तथा संचालक, राज्य शैक्षिक एवं अनुसंधान परिषद् (एससीईआरटी) के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त करते हुए संचालक, नगर एवं ग्राम निवेश का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है. शेष प्रभार यथावत् रहेगा.

13. श्री डी. राहुल वेंकट, भा.प्र.से. (2015), उप सचिव, खनिज साधन विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार मिशन संचालक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (SRLM), रायपुर तथा विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को केवल मिशन संचालक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (SRLM), रायपुर के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त करते हुए मिशन संचालक, राज्य साक्षरता मिशन तथा संचालक, राज्य शैक्षिक एवं अनुसंधान परिषद् (SCERT) का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है. शेष प्रभार यथावत् रहेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमलप्रीत सिंह, सचिव.

विधि एवं विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 9 जुलाई 2020

क्रमांक 5758/147/21-ब/2020.—भारतीय क्रिश्चियन विवाह अधिनियम, 1872 (क्र. 15 सन् 1872) की धारा-6 तथा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा धर्म-कर्म कराने वाले (मिनिस्टर ऑफ रिलीजन) रेव्ह. पास्टर अमित दान, असेम्बली ऑफ गॉड चर्च को, छत्तीसगढ़ राज्य के राजनांदगांव जिले में :—

1. विवाह अनुष्ठापित कराने और

2. भारतीय क्रिश्चियनों (ईसाईयों) के बीच होने वाले विवाहों के प्रमाण-पत्र देने हेतु, अनुज्ञप्ति मंजूर करता है.

No. 5758/147/21-B/2020.—In exercise of the powers conferred by Section 6 and 9 of the Indian Christian Marriage Act, 1872 (No. 15 of 1872), the State Government, is hereby, pleased to grant license to (Minister of Religion) Rev. Pastor Amit Dan, Assembly of God Church, for District Rajnandgaon of Chhattisgarh State :—

1. to Solemnize Marriage; and

2. to grant Certificate of marriages solemnised between the Indian Christians.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव.

श्रम विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 7 जुलाई 2020

क्रमांक एफ 1-6/2012/16.—कारखाना अधिनियम, 1948 (सन् 1948 की 63) की धारा 8 की उपधारा (2) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए एवं इस संबंध में पूर्व में जारी समस्त अधिसूचनाओं को अधिक्रमित करते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा श्री एलेक्स व्ही.एफ.पॉल मेनन व्ही. (भा.प्र.से.) श्रमायुक्त को सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य के लिए मुख्य कारखाना निरीक्षक नियुक्त करता है.

No. F 1-6/2012/16.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 8 of the Factories Act, 1948 (63 of 1948) and in supersession of the all previous notifications in this respect, the Government of Chhattisgarh hereby appoints Shri Alex V. F. Paul Menon V. (IAS), Labour Commisioner, Chhattisgarh to be Chief Inspector of Factories for the state of Chhattisgarh.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 27 जुलाई 2020

क्रमांक-एफ-Q/2019.—राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम 1996 (केन्द्रीय अधिनियम 1996 की संख्या 27) की धारा 62, प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) नियम 2008 के नियम 272 (1) (ख) में (तीन) के पश्चात् निम्नांकित अंत स्थापित किया जाता है :—

(चार) "कोविड-19 कोरोना वायरस के कारण अन्य राज्यों से वापस आये निर्माण कार्य में संलग्न प्रवासी श्रमिक का स्व घोषणा प्रमाण पत्र के आधार पर वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में अस्थाई पंजीयन किया जावेगा. एक वर्ष के पश्चात् 90 दिवस कार्य करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर अस्थाई पंजीयन प्रमाण पत्र को नियमित किया जा सकेगा."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेणुका श्रीवास्तव, उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कोरबा, दिनांक 12 जून 2020

प्रारूप-एक

(नियम 11 देखिये)

क्रमांक/9138/भू-अर्जन/2020.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
कोरबा	कटघोरा	धवईपुर	0.124 हे.	रामपुर जलाशय योजना के दांयी तट मुख्य नहर निर्माण हेतु

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 04-07-2020 को समय 12.00 बजे से स्थान ग्राम पंचायत भवन धवईपुर पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	रामपुर जलाशय योजना के दांयी तट मुख्य नहर निर्माण हेतु.
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	03 परिवार
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	03 परिवार
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
5.	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
7.	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
8.	परियोजना की कुल लागत	—	रु. 8340.45 लाख
9.	परियोजना से होने वाले लाभ	—	रामपुर जलाशय योजना के नहर निर्माण का विस्तार होने से सिंचाई का रकबा प्रभावित होने से फसल की पैदावार में वृद्धि होगी.
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये संभावित उपाय किये जा रहे हैं तथा उसपर होने वाला संभावित व्यय का प्रावधान किया गया है.
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

कोरबा, दिनांक 12 जून 2020

प्रारूप-एक

(नियम 11 देखिये)

क्रमांक/9142/भू-अर्जन/2020.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
कोरबा	कटघोरा	बिसनपुर	5.321 हेक्टेयर	रामपुर जलाशय योजना के बांयी तट मुख्य नहर निर्माण हेतु.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 07-07-2020 को समय 12.00 बजे से स्थान ग्राम पंचायत भवन बिसनपुर पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	रामपुर जलाशय योजना की बांयी तट मुख्य नहर निर्माण हेतु.
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	73 परिवार
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	73 परिवार
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
5.	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
7.	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
8.	परियोजना की कुल लागत	—	रु. 8340.45 लाख
9.	परियोजना से होने वाले लाभ	—	रामपुर जलाशय योजना के नहर निर्माण का विस्तार होने से सिंचाई का रकबा प्रभावित होने से फसल की पैदावार में वृद्धि होगी.
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये संभावित उपाय किये जा रहे हैं तथा उसपर होने वाला संभावित व्यय का प्रावधान किया गया है.
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
किरण कौशल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला-बेमेतरा (छत्तीसगढ़), एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बेमेतरा, दिनांक 22 मई 2020

क्रमांक 04/अ-82/भू-अर्जन/2019-20.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बेमेतरा	बेमेतरा	जेवरा प.ह.नं. 39	0.71	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बेमेतरा, जिला बेमेतरा (छ.ग.).	शिवनाथ उद्वहन सिंचाई योजना के नहर विस्तार में प्रभावित.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकरी (राजस्व), बेमेतरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिव अनंत तायल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कांकेर, दिनांक 22 जून 2020

क्रमांक/2321/वा./भू.अ./प्र.क्र./7/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर
- (ख) तहसील-अंतागढ़
- (ग) नगर/ग्राम-पोटेबेड़ा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.42 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
RF/696	0.46
RF/696	0.23
RF/696	0.22
RF/696	0.30

	(1)	(2)
	RF/696	0.22
	RF/696	0.15
	RF/696	0.23
	RF/696	0.21
	RF/696	0.40
योग	9	2.42

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-आतुरबेड़ा जलाशय निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा)/भू-अर्जन अधिकारी, अंतागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

कांकेर, दिनांक 22 जून 2020

क्रमांक/2322/वा./भू.अ./प्र.क्र./8/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर
- (ख) तहसील-अंतागढ़
- (ग) नगर/ग्राम-बर्चे
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.07 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
RF/695	0.28
RF/695	0.48
RF/695	0.10
RF/695	0.38
RF/695	0.52
RF/695	0.09
RF/695	0.23
RF/695	0.08
RF/695	0.23
RF/695	0.15
RF/695	0.23
RF/695	0.30
योग 12	3.07

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-आतुरबेड़ा जलाशय निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा)/भू-अर्जन अधिकारी, अंतागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

कांकेर, दिनांक 22 जून 2020

क्रमांक/2323/वा./भू.अ./प्र.क्र./4/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर
- (ख) तहसील-अंतागढ़
- (ग) नगर/ग्राम-राजपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.04 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
159	0.10
157/3	0.08
157/4	0.07

(1)	(2)
162/1	0.02
142/1	0.08
162/2	0.34
142/2	0.09
146	0.26
147	0.10
148	0.02
125	0.16
149/4	0.16
149/5	0.24
119	0.02
115	0.30
योग 15	2.04

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-राजपुर व्यपवर्तन योजना अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा)/भू-अर्जन अधिकारी, अंतागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. एल. चौहान, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

संचालनालय कोष लेखा एवं पेंशन छत्तीसगढ़
ब्लॉक-एक प्रथम तल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, दिनांक 3 जून 2020

क्रमांक/राज.स्था./01/2020-21/475.—छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर के आदेश क्रमांक ई 1-02/2020/एक-2, दिनांक 26-05-2020 के अनुक्रम में अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा दिनांक 03-06-2020 को संचालक के पद पर संचालनालय कोष लेखा एवं पेंशन, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर में पदभार ग्रहण कर लिया गया है.

अतएव समस्त शासकीय, अर्धशासकीय एवं गोपनीय पत्र व्यवहार अधोहस्ताक्षरकर्ता के नाम से संबोधित करने का कष्ट करें.

नीलकंठ टीकाम,
संचालक.

सचिवालय राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण (SLMA)
प्रथम तल, एकीकृत शिक्षा भवन, पेंशनबाड़ा, रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 जून 2020

क्रमांक/59/रा.सा.मि.प्रा./स्थापना/प्रभार/20-21.—छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग का पत्र क्र. ई 1-02/2020/एक-2 नवा रायपुर, दिनांक 11-06-2020 के परिप्रेक्ष्य में मुझे संचालक, एससीईआरटी व संचालक, राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है. उक्त आदेश के परिपालन में मैंने दिनांक 12-06-2020 अपरान्ह में संचालक, राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण के पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया है.

डी. राहुल वेंकट,
संचालक.